

SHRI MALLIKARJUN: Since this has been cleared by the Planning Commission, there is also an intense feeling on the part of the Delhi Administration. I am fully confident that the Delhi Administration will come forward to invest their share and I am hopeful that it will be completed within three or four years.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Ten minutes past fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Sixteen Minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

SALARY, ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS OF PARLIAMENT (SECOND AMENDMENT) BILL*

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954.

MR. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Salary, Allowances and pension of Members of Parliament Act, 1954."

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य तौर पर जब विधेयक को पेश करने की अनुमति मांगी जाती है तो उसका विरोध नहीं किया जाता है। फिर यह विधेयक तो संसद सदस्यों के वेतन, पेंशन और भत्तों से सम्बन्धित है। इसलिए मेरे विरोध आपको खल रहा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, देश में यह धारणा है कि संसद सदस्य और विधान मंडलों के सदस्य अपने वेतन में, भत्तों में और अपनी सुवि-

धाओं में अनाप-शनाप विस्तार करते जाते हैं। मुझे कुछ विधान मण्डलों के सदस्यों के वेतन और भत्तों का विवरण देखने को मिला है। उनमें एकरूपता नहीं है। संसद में जो यह विधेयक लाया जा रहा है इसमें कहा गया है कि इस से 17 लाख रुपये का खर्च बढ़ेगा। हो सकता है कि सलाह-मशविरा करके किया जा रहा हो।

मगर, उपाध्यक्ष महोदय, आप विधेयक को देखिए। इसमें लिखा है कि तीसरे दर्जे के स्थान पर दूसरे दर्जे शब्द लिख दिए जाएं। बहुत दिन हो गए, देश में रेल गाड़ियों में तीसरा दर्जा खत्म हुये। आजकल तीसरा दर्जा ही नहीं। क्या इसके लिए यह विधेयक लाना जरूरी था? क्या यह काम नियमों में संशोधन कर के नहीं किया जा सकता था? तीसरे दर्जे के स्थान पर दूसरे दर्जा शब्द रख दिए जाएं, इस संशोधन का क्या मतलब है? तीसरा दर्जा आज कहां है? इसी तरह से इसमें कहा गया है कि तीसरे दर्जे के स्थान पर प्रथम दर्जे शब्द रख दिये जाएं। क्या इतने छोटे से संशोधन को करने के लिए हमें संसद के कानून में परिवर्तन करना होगा? जैसे रेलवे में तीसरा दर्जा खत्म हो गया, और उसके स्थान पर केवल दूसरा दर्जा रह गया। यह परिवर्तन भी आपने किया था।

एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आपने सुविधाओं की दृष्टि से हवाई जहाज से यात्रा करने की कुछ सुविधा दी है। लेकिन अगर कोई संसद सदस्य डिफ्रेंस पे कर के हवाई जहाज से सफर करना चाहे तो वह अनुमति नहीं दी। मुझे संसद सदस्य के नाते और एक पार्टी के प्रतिनिधि के नाते सारे देश में घूमना पड़ता है। मैं डिफ्रेंस पे कर के एयरकन्डीशन में तो जा सकता हूँ लेकिन हवाई जहाज दोनों ही सरकार चलाती है। हवाई जहाज दोनों ही सरकार चलाती है। मुझे डिफ्रेंस पे कर के हवाई जहाज से यात्रा करने की सुविधा क्यों नहीं होनी चाहिए। मेरे पास फर्स्ट क्लास का पास है। उसको डिफ्रेंस पे कर के मुझे हवाई जहाज से यात्रा करने की भी सुविधा होनी चाहिए। इसके बारे में यह सोचना कि इससे हवाई जहाज में भीड़ बढ़ जाएगी क्योंकि संसद के सदस्य

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

बेरोक-टोक यात्रा शुरू कर दंगे, यह ठीक नहीं है। घर से पैर निकालना खर्चा करना होता है। कितने संसद् सदस्य हवाई जहाज से यात्रा करते हैं? मैं हवाई अड्डे पर देखता हूँ कि जो भी संसद् सदस्य यात्रा करते हैं उनमें बहुतों के पास वहाँ घर तक पहुँचाने के लिए गाड़ी नहीं होती है। तो आप भेद क्यों कर रहे हैं? संसद् सदस्यों को हवाई जहाज से डिफरेंस देकर के यात्रा करने की सुविधा मिलनी चाहिए। डिफरेंस कोई कम नहीं है, बहुत डिफरेंस देना पड़ेगा, लेकिन यह तो मेरी समझ में नहीं आता कि रेल में एयरकन्डीशन में डिफरेंस देकर यात्रा की जा सकती है, लेकिन हवाई जहाज से डिफरेंस देकर यात्रा नहीं की जा सकती।

इसलिए मेरा कहना यह है कि टूकड़ों में लाने के बजाय एक कंसलिटेटेड विधेयक लाइए। कुछ चीजें छूट गई हैं, जिनका उल्लेख मैं नहीं करना चाहता। चीफ व्हिप की बैठक हुआ करती लिबरामेंट के चीफ व्हिप विधानमण्डलों के चीफ व्हिपों की बैठक बुलाया करते थे और कई सामान्य प्रश्नों की चर्चा होती थी। इस मामले में भी वहाँ पर सलाह हो सकती थी। हरियाणा में क्या मिल रहा है, हिमाचल में क्या मिल रहा है, बढ़ाने की एक होड़ लगी हुई है। इसके बारे में हम एक समान नीति बना सकते हैं।

SHRI MOOL CHAND DAGA (Pali): Sir, I would like to know whether this is a stage where he can speak on the subject.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Sometimes, he gives good suggestions and acts as a good friend also.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इन्होंने बढ़वाने के लिए इतने घण्टे खराब किए और अब मुझे 10 मिनट देने पर इतने उतावले हो रहे हैं कि जल्दी पास हो जायें और ये पत्नी के साथ हवाई जहाज की यात्रा कर सकें। मेरी तो इसमें रुचि है नहीं। (व्यवधान) इसलिए मैं इन बातों की तरफ आपका

ध्यान खींचना चाहता हूँ और इसके लिए विरोध करने की जो प्रक्रिया है, उसका लाभ उठा रहा हूँ।

(Interruptions)

SHRI A. K. ROY (Dhanbad): I gave notice, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER: No, you have not given.

SHRI A. K. ROY: I gave a notice. I don't know why it has not reached you.

MR. DEPUTY-SPEAKER: If you want to say anything, all right you say.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North East): I would also like to speak on this, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER: No, I have made it an exception, because he had got up.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: I have also got up,

MR. DEPUTY-SPEAKER: But I know he will not tell anything wrong. Therefore, I have allowed him.

SHRI A. K. ROY: Sir, this is a wrong Bill brought in at a wrong time and it will have a very wrong impact on the society. According to Rule 72 in the preliminary, we are supposed to raise only a question of legislative competence and constitutional infirmities, but when any law is made....

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have already said how can you oppose it under the constitutional propriety and all that, you don't go into the merits of the Bill.

SHRI A. K. ROY: I am not going into the merits because it has got so many merits and one cannot go over them quickly. But I can definitely go into the demerits of it.

One more important point must be kept in view while legislating a Bill for the Legislators. That point is one of public interest and reaction on the people. I feel at present any move by the Parliament

to extend the privileges and facilities of any Member will have a very bad reaction throughout the country. It will question the very credibility of the Legislation.

I would like to raise one more point and, Mr. Deputy-Speaker you also think about it. Simply because somebody is accompanying an MP, he will be getting certain privileges according to the Bill and Rs. 70 lakhs will be spent on that account. Sir, an MP enjoys certain privileges because of the nature of work he has to do and not because a fixed man is accompanying an MP. Any person, any Tom, Dick and Harry accompanying an MP will enjoy certain privileges as has been kept in the Legislation. I would like to know, if it will attract directly or indirectly Articles 14, 15 and 16, because the privileges of the MP can not be extended to his associate who may be temporary associate. That is a point which must be kept in view.

Now, when the whole country is starving and the people dying, I consider it a crime to spend even a single naya paisa for the benefit of the MPs.

श्री भीष्म नारायण सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी आपने स्वयं कहा है कि इंट्रोडक्शन स्टेज पर लेजिसलेटिव कपीट्रेस का सवाल ही उठाया जा सकता है, इसलिए मॉरिट में जाकर मैं कोई उत्तर नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जी से कहना चाहता हूँ कि आप स्वयं इतने बशुल सासंद हैं और नियम तथा कानून के जानकार हैं। आपने देखा कि जब डागा साहब गैर सरकारी प्रस्ताव संसद सदस्यों के बतन-भत्ते तथा सुविधाओं की वृद्धि के लिए लाये थे तो एक कान्सेन्सस ब्यू था। आपके दल के माननीय सदस्यों ने भी इसमें भाग लिया था और जो आम तौर से राय थी, उसको देखते हुए और जैसा कि मैंने उस वक्त भी कहा था कि हमारा आइडियल सिंगल लिकिंग और हाई थिंकिंग का है, उसको देखते हुए ज्वाइंट कमेटी की जो सिफारिशें थी, उनमें से बहुत कम हमने लेने की कोशिश की है जिससे आम भावना यह न बने कि संसद सदस्य अपनी सुख सुविधाओं का ज्यादा ख्याल रखते हैं, जैसा कि अभी आपने भी कहा है। इस बात का

पूरा ध्यान रखा गया है और कम से कम चीजों को लिया गया है। जैसा कि अभी आपने कहा कि डिफरेंस देकर हवाई जहाज से ट्रेवल करने की सुविधा हानी चाहिए, इस तरह के बहुत सुभाव थे, लेकिन इसमें हम केवल बढ़ा रहे हैं, सेलरी या अलाउंसस नहीं बढ़ा रहे हैं और न ही कोई सहूलियतों में बहुत बढ़ाव की बात है। ज्वाइंट कमेटी की सिफारिशों के अनुसार जो मिनिमम कर सकते थे, उसको करने की चेष्टा कर रहे हैं और सदन पूरा कपीटेंट है, योग्य है इसको पारित करने में। इसलिए इंट्रोडक्शन स्टेज पर विरोध का कोई औचित्य नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि सरकार हमेशा इस बात का ध्यान रखती है कि जो आदर्श हमारे सामने हैं, उनको ताक पर रखकर कोई सुविधा हम नहीं बढ़ा सकते।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Before I put the Motion to the House, I would tell Mr. Roy that his letter was received by the Office at 2.20 p.m. It should have reached by 10 O' Clock in the morning. But anyhow, as a special case, he has been allowed and he should not show it as a precedent.

The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Salary, Allowances and pension of Members of Parliament Act, 1954."

SHRI A. K. ROY: Sir, I press for Division.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let the Lobbies be cleared.

The Lok Sabha Divided:

Division No. 1] [14.34 hrs.

AYES

Appalanaidu, Shri S. R. A. S.

Banatwalla Shri G. M.

Bansi Lal, Shri

Bhardwaj, Shri Parasram

Bhim Singh, Shri

Bhole, Shri R. R.

Birbal, Shri

Chavan, Shri S. B.
 Chouhan, Shri Fatehbhan Singh
 Daga, Shri Mool Chand
 Dalbir Singh, Shri
 Dennis, Shri N.
 Digvijay Sinh, Shri
 Dubey, Shri Ramnath
 Era Mohan, Shri
 *Gamit, Shri Chhitubhai
 Ghufuran Azam, Shri
 Hembrom, Shri Seth
 Jha, Shri Kamal Nath
 Khan, Shri Mahmood Hassan
 Kosalram, Shri K. T.
 Krishna, Shri S. M.
 Krishna Pratap Singh, Shri
 Krishna, Shri G. Y.
 Kuchan, Shri Gangadhar S.
 Madhuri Singh, Shrimati
 Mahabir Prasad, Shri
 Mahajan, Shri Y. S.
 Mallanna, Shri K.
 Malikarjun, Shri
 Meena, Shri Ram Kumar
 Mishra, Shri Gargi Shankar
 Muttemwar, Shri Vilas
 Nagarathnam, Shri T.
 Naikar, Shri D. K.
 Nair, Shri B. K.
 Nandi Yellaiah, Shri
 Narayana, Shri K. S.
 Nayak, Shri Mrutyunjaya
 Nihal Singh, Shri
 Padayachi, Shri S. S. Ramaswamy
 Panigrahi, Shri Chintamani
 Panika, Shri Ram Pyare
 Parashar, Prof. Narain Chand
 Patel, Shri Shantubhai
 Patil, Shri A. T.
 Patil, Shri Balasabeb Vikhe

Patil, Shri Uttamrao
 Phulwariya, Shri Virda Ram
 Potdukhe, Shri Shantaram
 Qazi Saleem, Shri
 Quadri, Shri S. T.
 Ranga, Prof. N. G.
 Rathod, Shri Uttam
 Ravani, Shri Navin
 Satya Deo Singh, Shri
 Shakyawar, Shri Nathuram
 Singh, Dr. B. N.
 Subba, Shri P. M.
 Suryawanshi, Shri Narsing
 Thorat, Shri Bhausabeb
 Vairale, Shri Madhusudan
 Verma, Shri R. L. P.
 Vijayaraghavan, Shri V. S.
 Vyas, Shri Girdhari Lal
 Wagh, Dr. Pratap
 Yadav, Shri Vijay Kumar
 Zainul Basheer, Shri

NOES

Acharia, Shri Basudeb
 Bag, Shri Ajit
 Balanandan, Shri E.
 Chaturbhuj, Shri
 Chaudhury, Shri Saiffudin
 Ghosh, Shri Niren
 Giri, Shri Sudhir
 Hasda, Shri Matilal
 Mandal, Shri Sanat Kumar
 Masudal Hossain, Shri Syed
 Misra, Shri Satyagopal
 Modak, Shri Bijoy
 Mukherjee, Shri Samar
 Palaniappan, Shri C.
 Paranjape, Shri Baburao
 Roy, Shri A. K.
 Roy, Dr. Saradish
 Saha, Shri Ajit Kumar
 Shamanna, Shri T. R.

*He voted by mistake from a wrong seat and later informed the Speaker accordingly."

MR. DEPUTY SPEAKER: Subject to correction, the result* of the division is as follows:

Ayes 068

Noes 019

The motion was adopted.

SHRI BHISHMA NARAIN SINGH: I introduce** the Bill.

14.34 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) NEED FOR BRINGING NORMALCY IN DELHI UNIVERSITY

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (New Delhi): The teachers of the University of Delhi are on strike since the 12th of October last, and the *karamcharis* since the 20th of September last. From all available reports, one would conclude that normal teaching and office work has very largely come to a stop in the University and its colleges. The examination branch of the University is reported to have been shifted to a police station from where the conduct of the supplementary examinations is being supervised. The University of Delhi being a Central University, the Central Government has a special responsibility in ensuring its normal functioning.

The President of the Delhi University Teachers' Association has communicated in writing to the Vice-Chancellor that the continuation of the strike can be reconsidered if the latter takes a single step forward on a single issue. The executive of Association has stated that if the process of giving and implementing of assurances is instituted the Association shall be willing to have meaningful negotiations.

I urge the hon. Minister of Education to intervene without any further loss of time and take steps towards restoring nor-

malcy in the University through negotiations between teachers and the *Karmacharis* on the one hand and the University, the U.G.C. and the Ministry of Education on the other. Some positive step is called for in the direction of meeting at least some of the demands like promotional avenues and housing which also figured in an agreement between the University and the *Karmachari Union*.

(ii) FUNCTIONING OF TELEPHONE EXCHANGE AT KAURI RAM (GORALHPUR)

श्री महावीर प्रसाद (बांसगांव): मान्यवर मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बांसगांव गोरखपुर में स्थित कोड़ीराम कस्बे में स्थापित टेलीफोन एक्सचेंज की अव्यवस्था के सम्बन्ध में संचार मंत्रो का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। श्रीमन् मरा निर्वाचन क्षेत्र आर्थिक सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में परिवहन की भी दशा अत्यन्त दयनीय है। ऐसी परिस्थिति में उक्त एक्सचेंज जो कि मरे निर्वाचन क्षेत्र में बिल्कुल केन्द्र में स्थित है फिर भी इसकी दशा अत्यन्त शौचनीय है। यह बिल्कुल खराब पड़ा रहता है। यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति में जिला मुख्यालय या अन्य स्थानों से सम्पर्क करना चाहता है तो वह सम्पर्क नहीं कर पाता। यह एक्सचेंज बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर है। इस एक्सचेंज से काफी सख्या में व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक टेलीफोन लिए गए हैं जैसे बस स्टेशन, पावर हाउस, एस डी ओ पावर हाउस, तहसीलदार बांसगांव एस डी. एम बांसगांव आदि। साथ ही साथ विभागीय पी सी ओ अर्थात् कोड़ीराम, गगहा, सहगोरा, गजपुर, मलांव, बांसगांव, उरवां, लेलीपार तथा महावीर छपरा आदि का भी सम्बन्ध इसी एक्सचेंज से है।

अतः पुनः आपके माध्यम से संचार मंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूँ कि अविलम्ब प्राथमिकता के आधार पर इस एक्सचेंज में सुधार करने के लिए आदेश प्रदान

*The following Members also recorded their votes for AYES: Sarvashri Nand Kishore Sharma, Kamaluddin Ahmed, Uma Kant Mishra, S. Singaravadivel, Ratansingh Rajda and K. Kunhambu.

**Introduced with the recommendation the President.